क्रमांक 3328003 / छ.ग. / स.अ. / 2004 / पार्ट–3 /
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन,
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक /03/2015

–: कार्यालयीन आदेश :–

विकास आयुक्त कार्यालय (स्था), छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र क्रमांक 1128 / वि–2 / स्था. / 2011, रायपुर दिनांक 03.03.2011 द्वारा श्री एच.आर. यादव, तत्कालीन उपअभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, रायपुर के विरूद्ध आरोप पत्र जारी किया गया।

विकास आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर आदेश क्रमांक 267 / वि–2 / स्था. / 2011, रायपुर दिनांक 17.01.2011 द्वारा प्रकरण में श्री एच.आर. यादव, तत्कालीन उपअभियंता के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित करते हुये मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विकास आयुक्त कार्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को जांचकर्ता अधिकारी तथा श्री रामसागर, प्रभारी अधीक्षण अभियंता, छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, रायपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया। श्री रामसागर, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षण अभियंता के अन्यत्र स्थानांतरण उपरांत पत्र क्रमांक 4870 / एफ–1–21 / पं.ग्रा.वि.वि. / 22 / 2011 दिनांक 05.12.2011 द्वारा कार्यपालन अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, रायपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया।

प्रकरण में श्री एच.आर. यादव, तत्कालीन उपअभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, रायपुर वर्तमान में जल संसाधन संभाग, धमतरी के विरूद्ध 06 आरोप अधिरोपित किये गये थे। जांचकर्ता अधिकारी ने 02 आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित तथा 04 आरोपों को पूर्ण रूप से प्रमाणित माना है। अतः श्री एच.आर. यादव, तत्कालीन उपअभियंता के विरूद्ध ग्रामीण सड़कों के निर्माण में क्वालिटी कन्ट्रोल टेस्ट सुनिश्चित किये बिना कार्यों का भुगतान योजनाबद्ध तरीके से अनियमित रूप से किये जाने का अधिरोपित आरोप सिद्ध पाया गया।

प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक 1524 / आर.–1285 / 22 / वि–3 / ग्रा.यां.से. / 2011 दिनांक 28.02.2015 द्वारा की गई अनियमितता छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के नियम 10 (5) के विरूद्ध होने का उल्लेख कर श्री एच.आर. यादव, तत्कालीन उपअभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, रायपुर वर्तमान में जल संसाधन संभाग, धमतरी के विरूद्ध (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के नियम 10 (5) के अंतर्गत 03 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित किये जाने का अंतिम निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में श्री एच.आर. यादव, तत्कालीन उपअभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग, रायपुर वर्तमान में जल संसाधन संभाग, धमतरी का 03 वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर


•• पानी अमृत के समान है, इसे व्यर्थ होने से बचाएँ ••

पृ. क्र. 3328003 / छ.ग. / स.अ. / 2004 / पार्ट–3 / 4165 दिनांक 04/03/2015

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को उनके पत्र क्रमांक 726 / 3329 / 31 / स्था. / 2014 दिनांक 17.03.2015 के परिप्रेक्ष्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर को शासन के पत्र क्रमांक 1524 / आर.–1285 / 22 / वि–3 / ग्रा.यां.से. / 2011 दिनांक 28.02.2015 के परिप्रेक्ष्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
4. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन एवं भू–जल सर्वेक्षण मण्डल, रायपुर।
5. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी।
6. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस. यूनिट, स्टेट डाटा सेन्टर, रायपुर।
7. संबंधित श्री एच.आर. यादव, तत्कालीन उपअभियंता द्वारा स.क्र. (03)।
8. मास्टर नस्ती।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

प्रमुख अभियंता, 1/4/15
जल संसाधन विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर


•• पानी अमृत के समान है, इसे व्यर्थ होने से बचाएँ ••